## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया ( आर. ए. एस. )
राजस्व वाद संख्या :– 146 / 2023

उनवान

1. फूतर पुत्री रामा पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, तहसील– नसीराबाद, अजमेर, हाल निवासी कोटडी, भगवानपुरा, तहसील– सरवाड
— — अपीलांट :– जरिये अधिवक्ता श्री नितेश यादव

**बनाम**

1 देवकरण पुत्र रामा जाति जाट निवासी ग्राम ग्राम दिलवाडा, तहसील– नसीराबाद, अजमेर
2. प्रकाश पुत्री रामनिवास पत्नी मंगलचन्द निवासी कोटडी, भगवानपुरा, सरवाड, हाल निवासी शोलिया, सरवाडा, अजमेर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत देराठू, तहसील नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
— — रेस्पोडेन्टगण :– 1 व 2 जरिये अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका राठौड
3 अनुपस्थित, 4 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

---

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकण संख्या 610 पारित आदेश दिनांक 22.12.2022 के द्वारा स्वीकृत करने के विरू, अपील बाबत।

---

–: आदेश :– दिनांक :– 14.12.23

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर की निम्न आराजी अपीलांट की पुश्तैनी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

| खाता संख्या | खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|
| 222 / 221 | 176 | 0.46 |
| | 180 | 0.15 |

उक्त आराजी अपीलांट के पिता रामा पुत्र सुखदेव के नाम दर्ज थी। जिनकी मृत्यु के बाद रामा पुत्र सुखदेव की विरासत का नामान्तकरण संख्या 610 दिनांक 22.12.2022 को स्वकार करते समय अपीलांट का नाम तर्क कर दिया गया व रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया जबकि रेसपोडेन्ट संख्या 2 अपीलांट की पुत्री है, [illegible] नामान्तकरण में त्रुटिवश दर्ज कर दिया। ग्राम पंचायत देराठू द्वारा उक्त ना[illegible]करण [illegible] नियम व प्रावधान के विपरित आदेश पारित किया है। उक्त गैर कानूनी आदेश को [illegible] करने हेतु अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की है। अतः नामान्तकरण संख्या [illegible] दिनांक 22.12.2022 को निरस्त कर आराजी मुतनाजा में अपीलांट का नाम रेसपोडेन्ट संख्या 2 के स्थान पर जोडा जावे एवं अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि अपीलांट अपनी अपील स्वयं स्वीकार करे। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रकरण में अनपुस्थित रहे।

बहस उभयक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 0.46 व 182 रकबा 0.15 देवकरण पुत्र रामा व प्रकाश पुत्री रामा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 610 के अनुसार उक्त आराजी पूर्व में रामा पुत्र सुखदेव के नाम थी जिसकी मृत्यु के बाद जरियें विरासत उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की गयी। अपीलांट रामा पुत्र सुखदेव की पुत्री है। उक्त नामान्तकरण में अपीलांट का नाम दर्ज करने के सथान पर अपीलांट की पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम अंकित कर दिया जबकि अपीलांट रामा की पुत्री होने के कारण उसका नाम उक्त विरासत नामान्तकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ दर्ज करना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने भी अपील के तथ्यों को स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा राज0 पैरोकार द्वारा अपील का कोई खण्डन नही किया है। अतः अपील के तथ्य स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 176 रकबा 0.46 व 182 रकबा 0.15 पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 610 दिनांक 22.12.2022 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर रामा पुत्र सुखदेव के वारिसान की विधिवत जॉच कर नये सिरे से विरासत की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested